यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-II वा.क. रूडकी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-II वा.क. रूडकी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 28.02.2018 से 09.03.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री ह र्षत जायसवाल(ले.प), श्री अजय कुमार मश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 06.01.2017 से 16.01.2017 तक श्री अमरनाथ साहु वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2014-15	58444.28
2015-16	14758.60
2016-17	16007.02

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....'A'.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- आयुक्त कर- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में ट्रेडर्स निर्माता को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-**II** वा.क. रूडकी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:**

राजस्व: - 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(क)

प्रस्तर स: 1 – कर का न्यूनारोपण ₹ 29.40 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनयम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 12.5% (01.01.2010 से 13.5%) की दर से कर आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II वाणिज्य कर रूड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्योवाहरी सर्वश्री श्री लक्ष्मी एजेंसी रामनगर, रूड़की कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा **₹** 3,45,89,582/- की प्लास्टिकवेयर एवं थर्मोवेयर की बिक्री 5% की दर से की गई थी| जबकि थर्मोवेयर उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसुची से आच्छादित नहीं है|

अत: उक्त की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होना चाहिए था| इस प्रकार अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5 – 5) से **₹** 29,40,114/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था| साथ ही नियामानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

अतः प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

<u>भाग 2(ख)</u>

प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 3.95 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी द्वारा युक्ति – युक्त कारण के बिना स्वीकृत कर के विलंबित जमा पर देय कर का न्यूनतम 10% अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II वाणिज्य कर रूडकी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच मैं पाया गया कि व्योव्हारी सर्वश्री पी. के. इंटरनेशनल. रामपुर चुंगी, रूड़की कर निर्धारण वर्ष **2012-13** द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि **₹** 39,50,100/- को युक्ति युक्त कारण के बिना विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की धनराशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार **₹** 3,95,010/- का न्यूनतम अर्थदण्ड अरोपनीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की दिनाक तिथि	कर की धनराशि(₹)	आरोपणीय अर्थदण्ड(₹)
1.	सर्वश्री पी. के. इंटरनेशनल. रामपुर चुंगी, रूड़की	2012-13	04/2012	16.06.2012	442465	44246.5
			05/2012	02.07.2012	366466	36646.6
			07/2012	14.09.2012	579505	57950.5
			08/2012	30.10.2012	716350	71635.0
			09/2012	23.11.2012	291192	29119.2
			10/2012	21.12.2012	314433	31443.3
			11/2012	19.02.2013	199667	19966.7
			12/2012	01.02.2013	398655	39865.5
			01/2013	31.03.2013	259030	25903.0
			02/2013	10.05.2013	198406	19840.6
			03/2013	22.06.2013	183931	18393.1
Total					3950100	395010

<u>भाग 2(ख)</u>

<u>प्रस्तर स-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 21.63 लाख</u>

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा – 10 'ए' के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी द्वारा केन्द्रीय फार्म – सी के विरुद्ध रियायती दर पर व्यापारी के केन्द्रीय प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओ की खरीद किये जाने पर उस वस्तु पर आरोपणिय कर का 1.5 गुना अर्थदण्ड आरोपित होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II वाणिज्य कर रूड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच मैं पाया गया कि व्योवाहरी सर्वश्री श्री लक्ष्मी एजेंसी रामनगर, रूड़की कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में फार्म – सी के विरुद्ध ₹ 1,06,84,996/- का Thermoware का क्रय रियायती दर पर किया गया था|
(विवरण संलगन)

जबकि केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार व्यौवहारी उक्त वस्तु की प्रपत्र – सी निर्गत करके प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अधिकृत नहीं था | अत: केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 'क' के अंतर्गत ₹ 21,63,711/-(₹ 1,06,84,996 x 13.5% x 1.5) का अर्थदण्ड आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

क्र. स.	फॉर्म सी संख्या	वस्तु का नाम	इन्वाईस संख्या	राशि(₹)
1.	1271379	Thermoware	GHA-0719,0736,0755,0788,0813, 0878,0886,0994,0910,0920	14,51,031/-
2.	1271380	Thermoware	GHA-0012,0040,0060,0068,0084, 0121,0126,0144	11,33,891/-
3.	1271382	Thermoware	0517, Syn-0256,0314,0374,0474	5,53,485/-
4.	1271381	Thermoware	TDI-2913	2,44,881/-
5.	1271384	Thermoware	SAY-0537,0570,0641	10,86,981/-
6.	1271385	Thermoware	GHA-0191,0382,0372,0272,0221, 0290,0307,0405,0277,0251	16,99,851/-
7.	1271386	Thermoware	GHA-0577,0595,0629,0774,0529, 0562,0469,0575,0677,0715,0683, 0526,0626,0646,0734,0754,0540, 0612,0627,0693,0583.	42,77,474/-
8.	1271387	Thermoware	SAY-0248	2,37,402/-
			Total	1,06,84,996/-

STAN

प्रस्तर स: 03 – फॉर्म – सी का सत्यापन न किया जाना|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II वाणिज्य कर रूड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्योवाहरी सर्वश्री एयर लिक्विड नार्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रूडकी कर निर्धारण वर्ष 2010-11 द्वारा ₹ 22,17,91,313/- की स्वनिर्मित नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस व लिक्विड ऑक्सीजन की रियायती दर पर फॉर्म – सी के विरुद्ध बिक्री की गई थी| व्योव्हारी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म – सी के लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चार फॉर्म – सी (कुल ₹ 72,62,511/-) (विवरण संलग्नक) को वेबसाइट (Tax information exchange system) पर जाँच किये जाने पर ये फॉर्म फेक प्रतीत हुए, क्योंकि ये फार्म-c क्रेता व्योवहारियों को जारी नहीं किये गये थे।

(विवरण संलगन)

अत: सत्यापन के अभाव में इन फार्मो के विरुद्ध रियायती दर का लाभ दिया जाना नियम के विरुद्ध था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि फॉर्म सी का सत्यापन कर लेखापरीक्षा को सूचित करा दिया जायेगा जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतिक्षा रहेगी|

क्र. स.	फॉर्म – सी संख्या	धनराशि(₹)
1.	HR/013C 0336385	21,65,903/-
2.	HR/013C 0336379	14,56,166/-
3.	HR/013C 0336380	18,94,152/-
4.	HR/013C 0336382	17,46,290/-
		72,62,511/-

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

	प्रारम्भ की स्थिति		अवशेष	
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
CT-36/2004-05	01,02	01,02,03		
CT-39/2005-06	01			
CT-09/2006-07	01,02			
CT-13/2008-09	02	01		
CT-18/2011-12	-	01,04		
CT-44/2014-15	01	01,STAN-01,02		
CT-17/2015-16	01,02	01,02		
CT-36/2016-17	01,02	01,02,03,04		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-**II** वा.क. रूडकी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
   टिप्पणी- शून्य

2.सतत अनिय मतताएः- टिप्पणी शून्य

3.लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री बी.एम.पंत	ड.क म.(क.नि.)
2.	श्री अभय कुमार पाण्डेय	ड.क म.(क.नि.)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-**II** वा.क. रूडकी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र